दिनांक 15 एवं 16–नवम्बर, 2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 5005/110/तीन/97–VII दिनांक 06–11–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 15, 16–नवम्बर,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

सर्वप्रथम समीक्षा बैठक में बिना अभिकरण मुख्यालय के अनुमति प्राप्त किये बैठक में अनुपस्थित परियोजना अधिकारी, डूडा–फिरोजाबाद एवं डूडा–सुलतानपुर का स्पष्टीकरण प्राप्त कर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये गये। जनपद–सुल्तानपुर की समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 1831 आवासों के सापेक्ष मात्र 256 आवासों हेतु प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा माह–नवम्बर,2018 तक 202 आवासों को पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11 आवास ही पूर्ण किये गये हैं अतः लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न हाने के कारण घोर असंतोष व्यक्त किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मा0 प्रधानमंत्री जी के माह– दिसम्बर,2018 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित भ्रमण कार्यकम के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 1.01 लाख आवासों का लक्ष्य दिनांक 25.11.2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में समस्त परियोजना अधिकारियों एवं संबंधित कन्सलटेन्ट्स को उनके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य को दिनांक 25.11.2015 तक पूर्ण किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये।
3. समीक्षा बैठक में सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत बड़े जनपदों में 2000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तथा छोटे जनपदों में 1000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान Payment By Higher Agency के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
6. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों से पूर्ण आवासों के फोटोग्राफ एवं लाभार्थी सूची प्रत्येक दशा में दिनॉक 30.11.2018 तक सूडा, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निर्देश दिये गये कि जनपद–वाराणसी के पोर्टल पर जो डाटा उपलब्ध है उसका एक सप्ताह में रिड्रेसल कर लिया जाये, इस हेतु सम्बन्धित संस्था के किसी वरिष्ठ कंसल्टेंट को तत्काल वाराणसी भेजा जाये और जनपद में और अधिक मैनपावर लगायी जाये। इसके अतिरिक्त वाराणसी जनपद से कम से कम 5000 आवासों की डी.पी.आर.तैयार कर तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
8. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।
9. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि सभी जनपदों को आई0ई0सी0 मद में रू0 20000/–की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी में किया जा सकता है परन्तु फोटोग्राफस प्रोफेशनल कैमरे से एच0डी0 में खिंचवा कर मुख्यालय को प्रेषित करें।
10. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि जनपदों में जितने लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन सभी को तृतीय लेबल

जीयोटैग कराते हुए दिनॉक 22.11.2018 तक तृतीय **किश्त की धनराशि अवमुक्त करना** सुनिश्चित किया जाये।

11. जनपद– हाथरस, पीलीभीत, जालौन तथा शाहजहॉपुर में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यालय से एक टीम गठित कर तीन दिवस में जॉच करने के निर्देश दिये गये।
12. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा सुनिश्चित की जाये।
13. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
14. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
15. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
16. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल एजेंसी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
17. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

<u>दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)</u>

<u>SM&ID-</u> सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों की प्रगति कम पाये जाने पर परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि नवम्बर, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय। उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत गठित समूहों, ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि SHG को RF अवमुक्त की गति धीमी होने के संबंध में संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा भी गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है जिसको ध्यान में रखकर समूहों को नियमानुसार तत्काल RF अवमुक्त किया जाए। सूडा उ0प्र0 द्वारा सभी शहरों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को सम्बद्ध किया जाये।

स्वयं सहायता समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–776/241/NULM/Teen/2001/SM&ID-III दिनांक 18.05.2018 एवं पत्र संख्या–3759/241/NULM/Teen/2001/SM&ID-III दिनांक 28.09.2018 के द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का अद्यतन अनुपालन नहीं किया गया है जिस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि नगरीय निकायों में गठित सभी समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्ध किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" की उत्पादन हेतु समूहों को प्रोत्साहित करते हुए सम्बद्ध किया जाय तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पखवारा **"शहरी समृद्धि उत्सव"** माह फरवरी, 2019 के नाम से आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसका विवरण मिशन निदेशालय के पत्र संख्या–4769 दिनांक 30.10.2018 एवं पत्र संख्या–4790 दिनांक 30.10.2018 के माध्यम से सभी को प्रेषित किया गया है, के संबंध में निर्देश दिये गये कि उक्त पत्रों का अध्ययन कर सफलतापूर्वक **"शहरी समृद्धि उत्सव"** का आयोजन कराना

सुनिश्चित करें तथा उक्त उत्सव का सुचारु रुप से अभिलेखीकरण कर आख्या सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये ताकि उक्त आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। **''शहरी समृद्धि उत्सव''** के बृहद प्रचार एवं प्रसार के लिए सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं रेडियों चैनलो का प्रयोग करते हुए जनमानस को जागरुक किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को सुचारु रुप से गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में संचालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित सी0एल0सी0 कानपुर के माध्यम से जनपदों से समूहवार विवरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–4430/241/NULM/Teen/ 2001/SM&ID-CLC दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूडा उ0प्र0 एवं सी0एल0सी0 जोन–5 कानपुर नगर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है प्रदेश में थर्ड पार्टी सर्वे में पाये गये निकायवार आकड़े जिलों को इस कार्यालय के पत्र सं0–1863/241/NULM/तीन /2001(SUH)SLMC दिनांक 07.07.2018 के द्वारा भेज दिया गया था। इसके उपरान्त पत्र संख्या–3477/241/NULM/तीन/2001(SUH)SC-Vol-III दिनांक 18.09.2018 एवं राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति के कार्यवृत्त संख्या–4871/241/NULM/तीन/2001(SUH)SLMC दिनांक 01.11.2018 के द्वारा प्रत्येक जनपदों को अलग से पत्र निर्गत कर शहरी बेघरों के आंकड़े एवं अतिरिक्त आवश्यकता को SLMC के कार्यवृत्त द्वारा संशोधित दिशा निर्देश निर्गत किये गये है कि थर्ड पार्टी सर्वेक्षण मे पाये गये 25 शहरी बेघरों तक की संख्या वाले निकायों को उक्त बेघरों को आश्रय की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सामुदायिक केन्द्रों/अन्य भवनों में निकायों द्वारा अपने संसाधनों से की जायेगी तथा 25 से अधिक संख्या में पाये गये शहरी बेघरों हेतु तत्काल भूमि का चिन्हांकन कर C&DS, UP जल निगम के माध्यम से DPR तथा सभी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल कार्ययोजना/रोडमैप इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये जोकि अद्यतन अप्राप्त है। प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रोडमैप उपलब्ध कराने के अन्तिरिम आदेश दिये गये है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 13.11.2018 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान याचीकर्ता द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय को शपथ–पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में जाड़े के दृष्टिगत शहरी बेघरों को आश्रय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को आदेश पारित किया जाए। जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–7050/241/NULM/तीन/2001(SUH)SC-Vol-IV दिनांक 16.11.2018 द्वारा याचीकर्त्ता द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दिये गये शपथ–पत्र एवं तत्क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में सभी जनपदों के सभी निकायों में दिसम्बर, 2018 से अस्थाई शेल्टर की व्यवस्था कर की गई व्यवस्था का विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 22.12.2018 तक सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है ताकि आगामी नियत तिथि से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र दाखिल किया जा सके। यह भी निर्देशित किया गया कि भूमि/भवन चिन्हीकरण हेतु परियोजना अधिकारी स्वयं राजस्व अधिकारी/कर्मी के साथ बैठक/समन्वय करके शहर का भ्रमण कर मैपिंग करके भूमि/भवन की उपलब्धता नगरीय निकायों से प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन नगरीय निकायों के माध्यम से फिलहाल तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09. 2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी शहरेां से अपेक्षित है कि शीघ्र ही एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर) एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07.2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241/NULM/ Teen/ 2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में 20.09.2018 तक सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं को कार्यादेश जारी किये जाये और यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

मासिक समीक्षा एवं शहरों से वार्ता के दौरान संज्ञान में आया है कि अधिकांश शहरों ने अभी प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है। पत्रांक–2511 दिनांक 02.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु शहरवार लक्ष्यों को आवंटन किया गया है और उक्त पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विततीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति (31 मार्च, 2019) तक प्रत्येक दशा में भौतिक रुप से MIS पर प्रशिक्षण/बैचों को क्लोज अवश्य ही किया जाए। उपरोक्त के संबंध में पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या–988 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा सभी शहरों को निर्देश जारी किये गये है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र 04 माह अवशेष है, इन्ही अवशेष 04 माह में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर समाप्त किया जाना प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। जिन शहरों में 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण कार्य (बैच

क्लोज) समाप्त नहीं होगा, उन बैचों का भुगतान नहीं किया जायेगा और पूर्व में भुगतान की गई राशि भी वसूली जायेगी और प्रशिक्षण कार्य निर्धारित अवधि एवं तिथि तक समाप्त नहीं होने की दशा में परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.09.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.09.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं सहारनपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) के सापेक्ष अगस्त, 2018 को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही अवस्थापना निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए प्रगति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सियों का चयन पत्रांक–3633/241/NULM/Teen/2001(SUSV) TC-Tender दिनांक 25.09.2018 द्वारा जारी किया गया है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही एजेन्सियों से सम्पर्क करते हुए कार्यादेश जारी करने एवं अनुबन्ध किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराये एवं अतिशीघ्र सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाय।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्यः–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेंडिंग/नो वेंडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहाँपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर (शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया) में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

मुख्यालय के पत्र संख्या–4353 दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये कि उक्त शहरों में सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं को शासन की अपेक्षानुसार एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए और पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेंडिग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र जारी किये जाए। शहरी पथ विक्रेता प्लान, वेडिंग प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने के संबंध में मुख्यालय को उपरोक्त सभी शहरों से सूचना अप्राप्त है जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण

पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विक्रेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जिन जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है, उनकी निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई। SEP-I के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 10,000 के सापेक्ष मात्र 3638 (36.38%) लक्ष्य जनपदों द्वारा प्राप्त किये गये है जोकि मानक के अनुरुप नहीं है। इन जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह नवम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत प्रदेश के जिन जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है, उनकी निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-G के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 200 के सापेक्ष मात्र 96 (48%) लक्ष्य जनपदों द्वारा प्राप्त किये गये है, जो कि मानक के अनुरुप नहीं है। इन के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह नवम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत प्रदेश के जिन जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है, उनकी निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SHG-Bank Linkage के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 2750 के सापेक्ष मात्र 648 (23.56%) लक्ष्य जनपदों द्वारा प्राप्त किये गये है, जो कि मानक के अनुरुप नहीं है। इन के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह नवम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त घटकों के अन्तर्गत जिन जनपदों की प्रगति शून्य है, निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति माह नवम्बर, 2018 तक तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

Allahabad Bank Web Portal for Subsidy Subvention के संबंध में:-

1. निर्धारित समय सीमा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक सत्यापन तथा स्वीकृत कराकर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की जाएगी।
2. स्वीकृत 130 शहरों की निकायों में से प्रत्येक का डाटा MIS पर फीड किया जाए।
3. जो IFSC कोड गलत हो गये थे, उन्हें ठीक करके अवगत कराया जाए।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- जनपद बागपत की श्रीमती वन्दना गौतम, शहर मिशन प्रबन्धक एवं बड़ौत के श्री विक्रान्त सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत माह नवम्बर, 2018

का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के सोपक्ष प्रगति ना होने पाने की स्थिति में इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।

MIS– समीक्षा बैठक के दौरान DAY-NULM (MIS) अधिकांश शहरों का पूर्ण ना होने पर अपर निदेशक महोदय द्वारा गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया है, साथ ही आधार सीडिंग 100% (2017–18)एवं (2018–19) ना होने पर भी रोष व्यक्त किया गया है। सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अति शीघ्र समस्त शहर आधार सीडिंग को शत प्रतिशत MIS पर परिलक्षित करेंगे।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

जनपद–वाराणसी में राजीव आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष लाभार्थी उपलब्ध न हाने के दृष्टिगत परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि एक बार पुनः परीक्षण कर परियोजना के समर्पण की कार्यवाही शीघ्र कराएं।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है उनकी यू0सी0/निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट,फोटोग्राफ आदि सभी अभिलेख एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा सूडा द्वारा अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष संबंधित डूडा द्वारा अद्यतन उपयोगिता प्रमाणपत्र सूडा को न उपलब्ध कराये जाने के कारण द्वितीय किश्त अवमुक्त नही की जा सकी है जिससे कि निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाणपत्र सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों ने अभी तक अभिकरण मुख्यालय को नहीं उपलब्ध करायी है वे एक सप्ताह में डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित जनपद की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद

स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रू0 3.00 करोड़ से 4.00 करोड़ धनराशि तक के प्रस्ताव/डी0पी0आर0 शासनादेश के अनुरूप तैयार कराते हुए मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो संबंधित विभाग को आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद– बॉदा, बरेली, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कन्नौज, महोबा, मैनपुरी एवं शामली के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

<u>राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश</u>

पत्रांक–7393 **/110/तीन/97 Vol-VII** **दिनांक–**26/11/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक